राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.10(2)कृषि/ग्रुप–2/75 जयपुर, दिनांकः– 27 OCT 2014

## अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम,1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप–2/75 दिनांक 23.04.1977 के क्रम में राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा करती है, अर्थात्:–

**संशोधन**

उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 9 पर अंकित 'वन उपज' शीर्षक अन्तर्गत कृषि उपजों के साथ निम्नलिखित लघु वन उपजों को भी सम्मिलित किया जाता है:–
लघु वन उपज के अन्तर्गत पादप मूल के सभी गैर – इमारती वनोत्पाद है जिसमें बांस, झाड़, झंखाड, ठूंठ, बैत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तैंदू या केन्दू पत्ते, औषधिये पौधे और जडी बूटियां, मूल, कंद, रतनजोत, गौंद, फुहाड, सूखा आंवला, महुआ फूल, बीज (डोलमा), आंवला, सफेद मूसली, बहेडा, सूखा बेर, कन्जडी, कणजी, हरडा, पलाश के फल, कैर, सांगरी, चारोली, गुन्दा, कत्था, लाल कांगडी, निम्बोहडी (नीम का बीज) एवं सुगन्धित पौधे।

राज्यपाल की आज्ञा से
ह०
(हरिशंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि विपणन मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग (राजस्थान)।
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (राजस्थान)।
7. रक्षित पत्रावली।

ह०
शासन उप सचिव